[2022] 18 एस. सी. आर 273

रावी नम्बूथीरी

वी.

के. ए. बैजू और ओ. आर. एस.

(सिविल अपील सं। 8261-8262 2022 का)

नवंबर 09,2022

[एस. अब्दुल नजीर और वी. रामसुब्रमणियन, जे. जे.]

केरल पंचायत राज अधिनियम, 1994-एस. 52 (1ए), 102 (1) (सीए), 120 (2)-केरल पंचायत राज (चुनाव संचालन) नियम, 1995

– आर. 6-केरल पुलिस अधिनियम, 1960-एस. 38 , 52 – अन्नामनदा ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 5 के पार्षद के रूप में अपीलार्थी का चुनाव किया गया था

एक तरफ रखें-की शुद्धता-आयोजितः अपीलार्थी स्वीकार करते हुए प्रपत्र No.2A में अपनी पिछली दोषसिद्धि का विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहा-इसलिए, जिस आधार पर उसके चुनाव को अमान्य घोषित करने की मांग की गई थी,

एस के भीतर चौकोर रूप से गिरता है। 102 (1) ((ग) 1994 अधिनियम-तथापि, जिन अपराधों के लिए अपीलार्थी को दोषी ठहराया गया था, वे यू/थे। एस. 38 आर/डब्ल्यू. एस. 52 केरल पुलिस अधिनियम-इस प्रकार, अपीलार्थी की दोषसिद्धि थी

वास्तव में एक पुलिस द्वारा जारी निर्देशों की अवज्ञा के लिए पंचायत के सामने धरना देने के संबंध में अधिकारी

कार्यालय-केरल पुलिस अधिनियम वास्तव में इसका उत्तराधिकारी कानून है

औपनिवेशिक युग के कुछ पुलिस अधिनियम, जिनका उद्देश्य था

स्वदेशी आबादी की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को विफल करें

एक बार केरल पुलिस अधिनियम के प्रावधानों के पीछे का उद्देश्य है

समझा, यह स्पष्ट होगा कि न तो एस। 52 (1ए) आर/डब्ल्यू आर। 6 और फॉर्म 2ए नॉर एस। 102 (1) (ग) अधिनियम का और न ही एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पी. यू. सी. एल.) में निर्णय या

कृष्णमूर्ति मामले को इस हद तक बढ़ाया जा सकता है कि

केरल पुलिस अधिनियम के तहत अपराध के लिए अपनी दोषसिद्धि का खुलासा करने में अपीलार्थी की विफलता

पंचायत कार्यालय, चुनाव घोषित करने के लिए एक आधार के रूप में लिया जाता है शून्य-जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय घोषणा करने में गलत थे

अपीलार्थी का चुनाव इस आधार पर शून्य होगा कि अपीलार्थी का प्रपत्र 2 ए में खुलासा करने में विफलता, के तहत उसकी दोषसिद्धि

केरल पुलिस अधिनियम स्वतंत्र व्यायाम पर अनुचित प्रभाव डालता है। चुनावी अधिकार 'और एस. एस. का भी उल्लंघन। 52 (1 ए) आर/डब्ल्यू एस। 102 (1) ((ग) 1994 के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा। 33 ए, 33 बी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

शब्द और वाक्यांश "नकली", "जालसाजी"-चर्चा की गई।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

विभिन्न आकस्मिकताएँ। वे इस प्रकार हैं: ((i) कि लौटाया गया उम्मीदवार योग्य नहीं था या उसके चुनाव की तारीख को अयोग्य घोषित कर दिया गया था; (ii) कि लौटाया गया उम्मीदवार द्वारा कोई भ्रष्ट आचरण किया गया है। उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वापस लौटे उम्मीदवार या उसके एजेंट की सहमति से; (iii) कि कोई भी

नामांकन अनुचित रूप से खारिज कर दिया गया था; (iv) कि धारा 52 की उप-धारा (1ए) के तहत निर्वाचित उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत विवरण नकली थे; और (v) कि चुनाव का परिणाम, जहां तक यह लौटे उम्मीदवार से संबंधित है, भौतिक रूप से गलत था।

किसी भी नामांकन की अनुचित स्वीकृति या उसके हित में किए गए किसी भी भ्रष्ट आचरण से प्रभावित

अपने चुनाव अभिकर्ता के अलावा किसी अन्य अभिकर्ता द्वारा या किसी भी वोट का अनुचित स्वागत, इनकार या अस्वीकृति या किसी भी वोट का स्वागत जो शून्य है या इस अधिनियम या किसी भी नियम या आदेश के प्रावधानों का कोई गैर-अनुपालन करके वापस किया गया उम्मीदवार।

इसके नीचे। दिलचस्प बात यह है कि धारा 102 की उप-धारा (1) पूर्ववर्ती पैराग्राफ में सूचीबद्ध पहली चार आकस्मिकताओं को स्थान देती है,

भौतिक रूप से प्रभावित हुआ या नहीं। इसके विपरीत, किसी की अनुचित स्वीकृति के आधार पर चुनाव कराने के लिए शून्य होना नामांकन या किसी अन्य अभिकर्ता द्वारा भ्रष्ट आचरण का आयोग, लेकिन लौटे उम्मीदवार के हित में या अनुचित स्वागत, किसी भी वोट से इनकार या अस्वीकृति या किसी भी वोट का स्वागत जो अधिनियम, नियमों या आदेशों के प्रावधानों के साथ अमान्य या गैर-अनुपालन है, न्यायालय को संतुष्ट होना चाहिए कि चुनाव का परिणाम भौतिक रूप से प्रभावित हुआ है। [पैरा 15 17] [288-जी-एच; 289-ए-ई] रावी नम्बूदिरी बनाम।

1.2 दूसरे शब्दों में धारा 102 की उप-धारा (1) में कहा गया है, (i) वापस लौटे उम्मीदवार की गैर-योग्यता/अयोग्यता; (ii) वापस लौटे उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वापस लौटे उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट की सहमति से किसी भी भ्रष्ट आचरण का आयोग; (iii) अनुचित

किसी भी नामांकन की अस्वीकृति; और (iv) धारा 52 (1ए) के तहत विवरण प्रस्तुत करना जो बहुत अधिक ऊंचे आधार पर नकली हैं। यदि इन चार आधारों में से किसी एक पर उम्मीदवार के चुनाव को चुनौती दी जाती है, तो यह दिखाना आवश्यक नहीं है कि चुनाव का परिणाम भौतिक रूप से प्रभावित हुआ है। धारा 102 की उप-धारा (1) में कहा गया है कि (i) किसी भी नामांकन की अनुचित स्वीकृति; (ii) लौटे उम्मीदवार के हित में, लेकिन उसके अपने चुनाव एजेंट के अलावा किसी अन्य एजेंट द्वारा किसी भी भ्रष्ट आचरण का करना; (iii) किसी भी वोट का अनुचित स्वागत, इनकार या अस्वीकृति या किसी भी वोट का स्वागत जो शून्य है; और (iv) एक समूह या वर्ग में अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी नियम या आदेश के प्रावधानों का पालन न करना, जहां न्यायालय एक अतिरिक्त कारक पर गौर करने के लिए बाध्य है, अर्थात् क्या इनमें से किसी भी कारक के कारण चुनाव का परिणाम भौतिक रूप से प्रभावित हुआ था। अधिनियम की धारा 120 में "भ्रष्ट आचरण" शब्द को परिभाषित किया गया है। [पारस 18-20] [289-F-H; 290-A-B]

1.3 प्रत्यर्थी संख्या 1 का तर्क है कि मामला पूरी तरह से धारा 102 (1) (सीए) के तहत आता है, जो

धारा 52 (1ए) के तहत विवरण प्रस्तुत करना, लेकिन जो नकली हैं। वैकल्पिक रूप से, यह सुझाव दिया जाता है कि मामला धारा 102 (1) (बी) के तहत आएगा जो लौटे उम्मीदवार द्वारा किसी भी भ्रष्ट आचरण से संबंधित है। चूंकि अभिव्यक्ति "भ्रष्ट" है

धारा 120 (2) में अभ्यास को 'किसी भी चुनावी अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग के साथ अनुचित प्रभाव' को शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा यह तर्क दिया गया है कि मामला कृष्णमूर्ति में निर्धारित कानून को देखते हुए धारा 102 (1) (बी) के तहत भी आ सकता है। प्रतिवादी संख्या 1 के लिए वरिष्ठ वकील के तर्क के दूसरे अंग के बारे में इस न्यायालय को अपने स्वयं के संदेह हैं। उनके तर्क का दूसरा अंग यह है कि सही जानकारी का खुलासा करने में विफलता

फॉर्म 2ए 'स्वतंत्र लोगों पर अनुचित प्रभाव' के समान होगा।

चुनावी अधिकार का प्रयोग, जो [2022] 18 एस. सी. आर. की धारा 120 के तहत "भ्रष्ट व्यवहार" अभिव्यक्ति की परिभाषा के भीतर आता है।

एक्ट करें। इस तर्क के लिए प्रेरणा कृष्णमूर्ति में इस न्यायालय के फैसले से उत्पन्न होती है। [पैरा 21,22] [295-सी-एफ]

1.4 जहाँ तक केरल पंचायत राज अधिनियम का संबंध है, 2005 के अधिनियम 30 के तहत संशोधन के बाद इसकी कोई आवश्यकता नहीं है

एक घुमावदार मार्ग लेने के लिए। गैर-प्रकटीकरण और गलत प्रकटीकरण का पता सीधे अधिनियम की धारा 52 (1 ए) और 102 (1) (सीए) से लगाया जा सकता है। धारा 102 (1) (सी. ए.) पर वापस आते हुए, यह एक अदालत को एक लौटे उम्मीदवार के चुनाव को अमान्य घोषित करने में सक्षम बनाता है, यदि -

धारा 52 (1 ए) के तहत उनके द्वारा प्रस्तुत विवरण "नकली" पाए गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि क़ानून "नकली" अभिव्यक्ति का उपयोग करता है न कि "गलत", "दमन" आदि जैसी अभिव्यक्तियों का। अधिनियम में "नकली" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। ब्लैक लॉ डिक्शनरी "नकली" शब्द को परिभाषित करती है जिसका अर्थ है "बनाना या निर्माण करना"। पी. रामनाथ अय्यर के एडवांस्ड लॉ लेक्सिकन (खंड 2,5 वां संस्करण, 2017) में, "नकली" शब्द से संबंधित प्रविष्टि पाठक को केवल "जालसाजी" शब्द से संबंधित प्रविष्टि की ओर निर्देशित करती है। इसलिए, "नकली" शब्द का अर्थ समझने के लिए "जालसाजी" शब्द से संबंधित प्रविष्टि पर जाना पड़ता है। "जालसाजी" शब्द से संबंधित प्रविष्टि काफी लंबी है और यह पहले एक संदर्भ के साथ शुरू होती है -

आई. पी. सी., 1860 की धारा 463 जो "जालसाजी" को परिभाषित करती है। [पैरा 28 30] [303-बी-एफ]

1.5 लॉ लेक्सिकन में उपरोक्त प्रविष्टि को पढ़ने से पता चलता है कि "जालसाजी" शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच में हुई है, जिसका अर्थ है " किसी वस्तु को स्मिथ के रूप में तैयार करना या उसे आकार देना उसका काम गुंबद पर होता है। अनिवार्य रूप से "जालसाजी" में किसी भी लेखन की गलत रचना शामिल प्रतीत होती है। इस प्रकार, उपरोक्त से यह प्रतीत होता है कि जालसाजी के तत्वों को भी कुछ नकली बनाने के अवयवों के रूप में पहचाना जाता है। यदि किसी दस्तावेज को गलत तरीके से बनाना "जालसाजी" और "जालसाजी" का एक सामान्य घटक है, तो अपीलार्थी को अतीत में हुई दोषसिद्धि का फॉर्म No.2A में खुलासा न करना,

यह निश्चित रूप से धारा 102 (1) (सीए) के अंतर्गत आता है। इसका कारण यह है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति, जब वह सही खुलासा करने में विफल रहता है, तो वह खुद को बिना किसी पूर्ववृत्त के दिखाता है। कानून में, वह बिना किसी आपराधिक पृष्ठभूमि के गुजर जाता है या एक व्यक्ति के रूप में सामने आता है। इसलिए, पिछले दोषसिद्धि के संबंध में प्रपत्र 2 ए में सही खुलासा करने में विफलता निश्चित रूप से रावी नम्बूदरी बनाम होगी।

यह धारा 102 की उप-धारा के खंड (सीए) में उल्लिखित 'नकली' शब्द के अर्थ के भीतर आता है। [पारस 31-33] [307-C-F]

1.6 यह सच हो सकता है, जैसा कि अपीलार्थी के वकील ने तर्क दिया है कि नियम 6, जिसके संदर्भ में फॉर्म No.2A

"नामांकन दाखिल करते समय आपराधिक मामले में संलिप्तता का खुलासा" तक सीमित। नामांकन दाखिल करने के समय, अपीलार्थी किसी आपराधिक मामले में शामिल नहीं था। हम प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान वरिष्ठ वकील के इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि "आपराधिक मामले में संलिप्तता" वाक्यांश में पिछली दोषसिद्धि भी शामिल होगी, विशेष रूप से जब धारा 52 (1ए) "नामांकन दाखिल करने के समय" सवार का उपयोग करती है। [पारस 34-36] [305-G-H; 307-A-B] 1.7 "नामांकन दाखिल करते समय आपराधिक मामले में संलिप्तता" शब्दों का अर्थ केवल (i) ऐसे मामले जहां आपराधिक शिकायत की जांच/सुनवाई लंबित है; (ii) ऐसे मामले जहां नामांकन दाखिल करते समय दोषसिद्धि और/या सजा वर्तमान है; और (iii) ऐसे मामले जहां दोषसिद्धि नामांकन के समय लंबित किसी भी अपील या संशोधन का विषय है। इसलिए, नियम 6 और प्रपत्र No.2A के अभाव में हम आसानी से यह निष्कर्ष निकाल सकते थे कि अपीलार्थी का मामला धारा 52 (1ए) के दायरे में नहीं आएगा क्योंकि वह नामांकन की तारीख को किसी आपराधिक मामले में शामिल नहीं था। लेकिन नियम 6 और फॉर्म No.2A को कानून के "नकली" होने के अर्थ के साथ लिया जाता है, जिससे अपीलार्थी के लिए चीजें मुश्किल हो जाती हैं। प्रपत्र 2ए में कॉलम संख्या 1 में न केवल न्यायालय के समक्ष विचाराधीन आपराधिक मामलों के विवरण की आवश्यकता होती है, बल्कि उन आपराधिक मामलों के विवरण की भी आवश्यकता होती है जिनमें प्रतियोगी को दोषी ठहराया गया था। प्रतियोगी को प्रपत्र No.2A, उन मामलों के बारे में विवरण जिसमें उसे दंडित किया गया है, मामला संख्या, न्यायालय, जिन अपराधों के लिए सजा दी गई थी, सजा की प्रकृति और [2022] 18 एस. सी. आर. में प्रस्तुत करना आवश्यक है।

अपील या पुनरीक्षण आदि के बारे में विवरण। इसलिए, प्रपत्र No.2A धारा 52 (1ए) की आवश्यकता से कहीं अधिक है। अपीलार्थी स्वीकार करते हुए प्रपत्र No.2A में अपनी पिछली दोषसिद्धि का विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहा। इसलिए, जिस आधार पर उनका चुनाव मांगा गया था शून्य घोषित किया जाना, अधिनियम की धारा 102 (1) (सीए) के अंतर्गत आता है। लेकिन यही सब कुछ नहीं है। जिन अपराधों के लिए अपीलार्थी को अंततः दोषी ठहराया गया था, वे धारा 38 के तहत थे।

केरल पुलिस अधिनियम, 1960 (1961 का अधिनियम 5) की धारा 52। [पारस 37-40] [307-C-H]

1.8 उपरोक्त दोनों प्रावधानों से यह देखा जा सकता है कि अपीलार्थी की दोषसिद्धि वास्तव में अवज्ञा के लिए थी एक पुलिस अधिकारी द्वारा जारी किए गए निर्देश। यह स्वीकार्य रूप से एक धरने के संबंध में था जिसे अपीलार्थी ने उसके सामने आयोजित किया था।

पंचायत कार्यालय, अपने समर्थकों के एक समूह के साथ। इसलिए, हम जिस प्रश्न पर विचार करने के लिए बाध्य हैं, वह यह है कि क्या ऐसे अपराधों के लिए दोषसिद्धि का खुलासा न करना भी अधिनियम की धारा 102 (1) (सीए) के दायरे में आएगा। जबकि भारतीय दंड संहिता के तहत या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, शस्त्र अधिनियम आदि जैसे विशेष अधिनियमों के तहत अपराध ठोस अपराध हैं, जिनका करना किसी व्यक्ति को आपराधिक बना सकता है, कुछ धाराओं के तहत एक अपराध है।

केरल पुलिस अधिनियम जैसे अधिनियम ठोस अपराध नहीं हैं। जिस तरह हड़ताल श्रमिकों के हाथों में एक हथियार है और लॉक-आउट श्रम कल्याण कानूनों के तहत नियोक्ता के हाथों में एक हथियार है, उसी तरह विरोध नागरिक समाज के हाथों में एक उपकरण है और पुलिस की कार्रवाई श्रमिकों के हाथों में एक उपकरण है।

स्थापना। केरल पुलिस अधिनियम, मद्रास पुलिस अधिनियम आदि जैसे सभी राज्य अधिनियमों का उद्देश्य पुलिस बल का बेहतर विनियमन करना है और वे ठोस अपराध पैदा नहीं करते हैं। यही कारण है कि ये अधिनियम स्वयं पुलिस को आवश्यक जारी करने का अधिकार देते हैं। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश और उनमें से किसी भी निर्देश के उल्लंघन को इन अधिनियमों के तहत दंडनीय अपराध बनाया गया है। एक बार केरल पुलिस अधिनियम के प्रावधानों के पीछे के उद्देश्य को समझने के बाद, यह स्पष्ट हो जाएगा कि न तो नियम 6 और प्रपत्र 2ए के साथ पठित धारा 52 (1ए) और न ही अधिनियम की धारा 102 (1) (सीए) और न ही एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, रावी नम्बूरी बनाम में निर्णय।

के. ए. बैजू और ओ. आर. एस.

पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पी. यू. सी. एल.) या कृष्णमूर्ति को इस हद तक बढ़ाया जा सकता है कि अपीलार्थी द्वारा पंचायत कार्यालय के सामने धरना देने के लिए केरल पुलिस अधिनियम के तहत अपराध के लिए अपनी दोषसिद्धि का खुलासा करने में विफलता को चुनाव को अमान्य घोषित करने के आधार के रूप में लिया जाता है। [अनुच्छेद 43,45 और 46] [308-डी-एफ; 309-एफ-एच; 310-ए-सी]

1.9 यह ध्यान देने योग्य होगा कि केरल पुलिस अधिनियम, 1960 ने (i) त्रावणकोर-कोचीन पुलिस अधिनियम, 1951 को निरस्त कर दिया; और

इस आधार पर अमान्य होना कि अपीलार्थी द्वारा प्रपत्र 2 ए में खुलासा करने में विफलता, केरल पुलिस अधिनियम के तहत उसकी दोषसिद्धि 'चुनावी अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग पर अनुचित प्रभाव' के बराबर है। और केरल पंचायत राज अधिनियम की धारा 102 (1) (सीए) के साथ पठित धारा 52 (1 ए) का भी उल्लंघन है। इसलिए, अपीलों की अनुमति दी जाती है, विवादित आदेशों को दरकिनार कर दिया जाता है और प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर चुनाव याचिका को खारिज कर दिया जाता है। कोई लागत नहीं। [पारस 47,48] [310-सी-एफ]

यूनियन ऑफ इंडिया बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक

सुधार और ए. एन. आर. (2002) 5 एस. सी. सी. [2002] 3 एससीआर 696; पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पी. यू. सी. एल.) और ए. एन. आर. बनाम भारत संघ और ए. एन. आर (2003) 4 एस. सी. सी. 399: [2003] 2 एस. सी. आर. 1136; कृष्णमूर्ति बनाम शिवकुमार और ओआरएस

(2015) 3 एससीसी 467: [2015] 4 एस. सी. आर. 987; पुनरुत्थान भारत बनाम भारत निर्वाचन आयोग और ए. एन. आर. (2014) 14 एस. सी. सी. 189: [2013] 9 एस. सी. आर. 360-संदर्भित।

[202

2] 18 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मामला कानून संदर्भ

[2002] 3 एससीआर 696

संदर्भित किया गया है

पै

रा 10

[2003] 2 एससीआर 1136

संदर्भित किया गया है

पै

रा 10

[2015] 4 एससीआर 987

संदर्भित किया गया है

पै

रा 11

[2013] 9 एससीआर 360

संदर्भित किया गया है

पै

रा 12

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं। 8261

8262 2022 तक।

उच्च न्यायालय के 30.10.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2018 के सी. आर. पी. No.513 में एर्नाकुलम में केरल सरकार का आदेश और 2018 के सी. आर. पी. No.513 में 2018 के आर. पी. No.932 में दिनांकित <आई. डी. 2 का आदेश।

रागेंथ बसंत, कृष्ण देव जगरलामुदी, रूपाली लखोटिया, अजय

कृष्ण, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

पी. वी. सुरेंद्रनाथ, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुभाष चंद्रन के. आर., सावन

कुमार शुक्ला, सुश्री कृष्णा एल. आर., सुश्री रेस्मिथा आर. चंद्रन, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

छुट्टी दे दी गई।

2. केरल उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से व्यथित,

नवंबर-2015 में हुए चुनावों में अन्नामनदा ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 5 के पार्षद के रूप में अपने चुनाव को रद्द करने वाले अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करते हुए, निर्वाचित उम्मीदवार उपरोक्त अपीलों के साथ आया है।

3. हमने संबंधित पक्षों के विद्वान वकील को सुना है।

4. उपरोक्त अपीलों के निपटारे के लिए आवश्यक संक्षिप्त तथ्य

वे इस प्रकार हैं:

5-11-2015 पर, अन्नामनद के लिए चुनाव

((i)

ग्राम पंचायतें आयोजित की गईं। इसके अलावा

अन्य, अपीलार्थी और प्रत्यर्थी संख्या 1

वार्ड नं. 5 से चुनाव लड़ा।

((ख)

7.11.2015 पर, अपीलार्थी को घोषित किया गया था

वार्ड नं. 5 से निर्वाचित हुए।

बूथरी वी। के. ए. बैजू और ओ. आर. एस.

अमासुब्रमणियन, जे।]

प्रत्यर्थी संख्या 1 ने एक चुनाव याचिका दायर की जिला मुन्सिफ न्यायालय की फाइल, 4.12.2015 पर

अपीलार्थी के चुनाव को चुनौती देना। 19.11.2016 दिनांकित एक निर्णय द्वारा, चुनाव

जिला मुन्सिफ अदालत द्वारा याचिका को मुख्य रूप से इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि चुनाव याचिका में घोषणा करने के लिए कोई अनुरोध नहीं था

केरल की धारा 102 में निर्धारित आधारों पर अपीलार्थी का निर्वाचन शून्य है। पंचायत राज अधिनियम। वास्तव में 5.11.2015 पर आयोजित चुनाव को रद्द करने की प्रार्थना की गई थी।

चुनाव रद्द होने से व्यथित

याचिका, प्रतिवादी संख्या 1 ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के न्यायालय में एक अपील दायर की। अपील को एक तारीख वाले फैसले द्वारा अनुमति दी गई थी

18.06.2018 और अपीलार्थी के चुनाव को इस आधार पर अमान्य घोषित कर दिया गया कि अपीलार्थी

उनके नामांकन पत्र में दबा दिया गया, उनके एक आपराधिक मामले में संलिप्तता और इसलिए उसने एक भ्रष्ट अभ्यास किया था।

जिला न्यायालय के उक्त फैसले से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की। पुनरीक्षण याचिका को 30.10.2018 दिनांकित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। अपीलार्थी ने समीक्षा के लिए एक याचिका दायर की, लेकिन उसे भी उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। इसलिए, पुनरीक्षण याचिका में पारित आदेश और पुनरीक्षण याचिका में पारित आदेश को चुनौती देते हुए, अपीलार्थी ने दो अपीलें की हैं।

कि अपीलार्थी ने एक भ्रष्ट प्रथा को अपनाने में अपनी भागीदारी को दबा दिया, जिसके तहत उत्पन्न हुआ

nces, जो इस प्रकार हैं:

इस आरोप पर कि 20.09.2006 पर, एक समूह

जिसमें लगभग 40 लोग शामिल थे।

इसमें अपीलार्थी ने खुद को एक गैरकानूनी सभा में गठित किया और आपराधिक [2022] 18 एस. सी. आर. को अंजाम दिया।

अदालत की रिपोर्ट

धरना आयोजित करने के लिए अस्थायी शेड, 22 व्यक्तियों पर धारा 143,283 के तहत कथित अपराधों के लिए न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अदालत, चालाकुडी के समक्ष मुकदमा चलाया गया और 447 भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ पढ़ें। इसमें अपीलार्थी को अभियुक्त संख्या 1 के रूप में उद्धृत किया गया था और उस पर मुकदमा भी चलाया गया था।

धारा 38 के तहत एक अपराध के लिए अतिरिक्त रूप से पढ़ें

2006 के सी. सी. सं. 1606 में पारित 07.06.2010 दिनांकित निर्णय द्वारा, विचारण न्यायालय ने केवल ए-1 और ए-2 को दोषी ठहराया। इसमें अपीलार्थी जो ए-1 था, को आई. पी. सी. की धारा 143 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था और उसे Rs.2000/- के जुर्माने के साथ तीन महीने के लिए साधारण कारावास की सजा सुनाई गई थी। उन्हें धारा 283 के तहत अपराध के लिए भी दोषी ठहराया गया था और Rs.200/- का जुर्माना देने की सजा सुनाई गई थी। धारा 447 के तहत अपराध के लिए, अपीलार्थी को एक महीने की अवधि के लिए साधारण कारावास से गुजरने और Rs.500/- का जुर्माना देने का आदेश दिया गया था। इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी था केरल पुलिस अधिनियम की धारा 52 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया और भुगतान करने की सजा सुनाई गई

Rs.200/- का जुर्माना।

अपीलार्थी के साथ-साथ ए-2 ने सत्र न्यायालय, त्रिशूर के समक्ष एक वैधानिक अपील दायर की। आई. डी. 1 दिनांकित एक निर्णय द्वारा, अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी गई थी और आई. पी. सी. की धारा 143,447 और 283 के तहत अपराधों के लिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि को रद्द कर दिया गया था। तथापि, केरल पुलिस अधिनियम की धारा 52 के साथ पठित धारा 38 के तहत अपराध के लिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि और

Rs.200/- के जुर्माने की सजा

उन्हें प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था।

आई. नम्बूथीरी बनाम। के. ए. बैजू और ओ. आर. एस. [वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

चूँकि अपीलार्थी सक्रिय चुनाव में शामिल है

((iv)

राजनीति और आपराधिक न्यायालय द्वारा उनके द्वारा आयोजित एक धरने के संबंध में उनकी दोषसिद्धि, अपीलार्थी ने केरल की धारा 52 के साथ पठित धारा 38 के तहत केवल दोषसिद्धि के खिलाफ उच्च न्यायालय के समक्ष मामले को आगे नहीं बढ़ाया।

पुलिस अधिनियम।

हालांकि, में अपना नामांकन दाखिल करते समय

(v)

नवंबर 2015 में हुए पंचायत चुनावों में, अपीलकर्ता संबंधित नियमों के नियम 6 के तहत फॉर्म No.2A में, केरल पुलिस अधिनियम, 1961 की धारा 52 के साथ पठित धारा 38 के तहत अपनी दोषसिद्धि का खुलासा करने में विफल रहा। इसलिए, उनके चुनाव को प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा चुनौती दी गई थी और मामला अब इससे पहले आ गया है।

अदालत।

केरल पंचायत राज अधिनियम, 1994 (इसके बाद संदर्भित)

एन संशोधन वर्ष 2005 में अधिनियम 30 द्वारा किया गया था

22.08.2005 से ct। प्रस्तुत संशोधनों में से एकटी, धारा 52 में उप-धारा (1 ए) का सम्मिलन था।

) इस प्रकार पढ़ता हैः

" 52. नामांकन पत्र की प्रस्तुति और

धारा (1) के लिए योग्य नहीं समझा जाएगा उस पद को भरने के लिए चुना गया जब तक कि वह प्रस्तुत नहीं करता है, साथ में

इस तरह के नामांकन, उसके बारे में विवरण

शैक्षणिक योग्यता, आपराधिक मामले जिनमें वह प्रस्तुत करने के समय शामिल है

नामांकन, उसके और उसके परिवार के अन्य सदस्यों के स्वामित्व वाली संपत्ति, बकाया सहित देनदारियाँ कोई सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम या सरकारी या स्थानीय

स्व-सरकारी संस्थान और क्या अयोग्य हैं

(दलबदल निषेध) अधिनियम, 1999 और "[2022] 18 एस. सी. आर.

7. यद्यपि धारा की उप-धारा (1 ए) में प्रयुक्त भाषा

केवल "नामांकन जमा करने के समय अपराधी जिसमें वह शामिल है" के बारे में विवरण का खुलासा करते हुए, जी. एच. अदालत ने केरल पंचायत राज (आचरण) नियम, 1995 के नियम 6 को लागू किया ताकि यह माना जा सके कि पिछली दोषसिद्धि के लिए किसी भी जानकारी का दमन भी अपराध का दमन हो सकता है।

वेमेंट एक आपराधिक मामले में "।

8. केरल पंचायत राज का नियम 6 (चुनाव का संचालन)

1995 इस प्रकार पढ़ता है:

" 6. उम्मीदवारों का नामांकन। - (1) एक उम्मीदवार को प्रपत्र संख्या 2 में नामांकन पत्र के माध्यम से नामित किया जाएगा और संबंधित पंचायत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में एक मतदाता की ओर से एक आवेदन पर, निर्वाचन अधिकारी उसे प्रपत्र प्रदान करेगा। नहीं। 2 निःशुल्क।

(2) प्रत्येक उम्मीदवार निर्वाचन अधिकारी या व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा।

प्रपत्र में राज्य चुनाव आयोग द्वारा प्राधिकृत

(2 क) प्रत्येक उम्मीदवार निर्वाचन अधिकारी के समक्ष विवरण फॉर्म संख्या 2 ए के साथ प्रस्तुत करेगा।
नामांकन पत्र।

(3) निर्वाचन अधिकारी, नामांकन पत्र की प्राप्ति के तुरंत बाद, उनकी प्रस्तुति के क्रम में उन्हें क्रमिक रूप से क्रमांकित करेगा और प्रत्येक नामांकन पत्र में इसकी प्रस्तुति की तारीख और समय को नोट करेगा और प्रपत्र संख्या 2 के साथ संलग्न एक रसीद जारी करेगा।

नियम में निर्दिष्ट प्रपत्र संख्या 2 ए का प्रासंगिक कॉलम

9 .एस इस प्रकार है:

" 1. इनके खिलाफ निम्नलिखित आपराधिक मामले लंबित हैं।

मुझे अदालत के समक्ष मुकदमे के लिए/मुझे दोषी ठहराया गया है

आपराधिक मामलों में अदालत।

XXXX

ए।

जिन पर दंड लगाया जाता है

(ख)

((i)

मामला संख्या रावी नम्बूथीरी बनाम। के. ए. बैजू और ओ. आर. एस. [वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

((ख)

न्यायालय का नाम और स्थान अपराध का विवरण

(iii)

कौन सी सजा दी गई थी

((iv)

संबंधित अधिनियम की धाराएँ

किस सजा के तहत सम्मानित किया गया

(v)

कारावास/जुर्माने की मात्रा अधिरोपित) आदि।

(vi)

सजा की तारीख अपील, पुनरीक्षण के बारे में विवरण

(vii)

सजा के खिलाफ दायर किया गया आदि "।

10. उच्च न्यायालय का तर्क था कि आपराधिक अदालत द्वारा पिछली दोषसिद्धि के संबंध में सही जानकारी का खुलासा करने में कोई विफलता,

"आपराधिक मामले में संलिप्तता" से संबंधित जानकारी को दबाने के समान होगा। उच्च न्यायालय ने तर्क दिया कि (i) जहां तक राज्य विधानसभाओं और संसद के चुनावों का संबंध है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 33 ए में केवल उन दोषसिद्धि का खुलासा करने की आवश्यकता है जहां एक वर्ष के कारावास की सजा है। और अधिक लागू किए गए थे; और (ii) लेकिन यह कि पंचायतों के चुनावों से संबंधित केरल में बनाए गए नियम अधिक कठोर हैं, क्योंकि उनमें किसी भी आपराधिक मामले में किसी भी संलिप्तता का खुलासा करने की आवश्यकता होती है। उच्च न्यायालय ने राय दी कि न्यायालय इस न्यायालय द्वारा भारत संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और Anr.[1] में निर्धारित सिद्धांतों के आलोक में ऐसी आवश्यकता के उद्देश्य को ध्यान में रखने के लिए बाध्य था और

पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पी. यू. सी. एल.) और ए. एन. आर. बनाम भारत संघ और Anr.[2]।

11. उच्च न्यायालय के निर्णय पर जोर देते हुए, अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान वकील श्री रागेंथ बसंत ने तर्क दिया कि

एक छोटे से अपराध के लिए दोषसिद्धि का खुलासा न करना और वह भी एक राजनीतिक मुद्दे पर धरना आयोजित करने से संबंधित, अधिनियम की धारा 120 (2) के अर्थ के भीतर "अनुचित प्रभाव" के रूप में नहीं कहा जा सकता है और इसलिए, अपीलार्थी के चुनाव को इस आधार पर शून्य घोषित नहीं किया जाना चाहिए था कि यह भ्रष्टाचार द्वारा दूषित किया गया था। 1 (2002) 5 एस. सी. सी. 295

2 (2003) 4 एससीसी 399 [2022] 18 एस. सी. आर.

अधिनियम की धारा 102 (1) (बी)। विद्वान वकील द्वारा भी इसका प्रतिवाद किया गया था

कि कृष्णमूर्ति बनाम शिवकुमार और Ors.³ में इस न्यायालय के निर्णय पर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा रखी गई निर्भरता गलत थी। विद्वान वकील के अनुसार, भ्रष्टाचार या नैतिक अधमता से जुड़े जघन्य या गंभीर अपराधों से संबंधित आपराधिक पृष्ठभूमि का खुलासा न करना ही भ्रष्ट आचरण के समान होगा। अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा यह भी तर्क दिया जाता है कि धारा 52 (1ए) के संदर्भ में प्रकटीकरण की आवश्यकता केवल नामांकन प्रस्तुत करते समय आपराधिक मामले में संलिप्तता से संबंधित है और इसलिए, नियम 6 के तहत आवश्यकता को धारा 52 (1ए) के दायरे को बढ़ाने के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है। अपीलार्थी के विद्वान वकील के अनुसार, अधिनियम की धारा 102 (1) (सी. ए.) के तहत आधार भी लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह स्थिति से संबंधित है।

12. उच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन करते हुए प्रतिवादी नंबर 1 के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री पी. वी. सुरेंद्रनाथ ने तर्क दिया (निर्वाचन याचिकाकर्ता) कि अपीलार्थी द्वारा, प्रपत्र 2ए में दाखिल नामांकन प्रपत्र में, आपराधिक अपराध के लिए अपनी दोषसिद्धि का जानबूझकर दमन, स्पष्ट रूप से "अनुचित" अभिव्यक्ति की परिभाषा के भीतर आता है।

अधिनियम की धारा 120 (2) के तहत प्रभाव। प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार, न्यायालय इस तथ्य को ध्यान में रखने के लिए बाध्य है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 33बी को संसद द्वारा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड ए. एन. आर. (उपरोक्त) में निर्णय के प्रभाव को रद्द करने के लिए लाया गया था। लेकिन पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (ऊपर) में धारा 33बी को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। पुनरुत्थान भारत बनाम भारत निर्वाचन आयोग और Anr.4 में निर्णय पर भरोसा करते हुए, प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा यह तर्क दिया गया कि रिक्त विवरणों के साथ एक हलफनामा दाखिल करना भी नामांकन को अस्वीकार करने का आधार माना गया है।

कागजात।

13. हमने प्रतिद्वंद्वी विवादों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। इससे पहले कि हम प्रतिद्वंद्वी विवादों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ें, हमें यह बताना चाहिए कि मामला नवंबर में हुए पंचायत चुनाव से संबंधित है

3 (2015) 3 एस. सी. सी. 467

4 (2014) 14 एस. सी. सी. 189 नम्बूथीरी बनाम।

के. ए. बैजू और ओ. आर. एस. [वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]अपीलार्थी का पद पहले ही समाप्त हो चुका है। लेकिन यदि उच्च न्यायालय सही पाया जाता है, तो अपीलार्थी कर सकता है

अयोग्यता। इसलिए, इसमें गुण-दोष पर निर्णय

फिर से अकादमिक अभ्यास और इसलिए हमें इससे निपटना होगाओएनएस।

उच्च न्यायालय के निर्णय की शुद्धता, हम

अधिनियम की धारा 102 से हमारी चर्चा। अनुभाग

विज्ञापन इस प्रकार हैं:

' 102. चुनाव को अमान्य घोषित करने के लिए आधार। -

【 1) उप-धारा (2) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, यदि - अदालत की राय है -

(क) कि उनके चुनाव की तारीख को एक लौटाया गया

उम्मीदवार योग्य नहीं था, या अयोग्य घोषित किया गया था,

इस अधिनियम के तहत सीट भरने के लिए चुना जाना; या

(ख) कि कोई भी भ्रष्ट आचरण किया गया है।

किसी अन्य व्यक्ति की सहमति से लौटाया गया उम्मीदवार या उसका चुनाव एजेंट; या

(ग) कि किसी भी नामांकन को अनुचित रूप से अस्वीकार कर दिया गया है;

या

(ग) निर्वाचित द्वारा प्रस्तुत विवरण

धारा 52 की उप-धारा (1ए) के तहत उम्मीदवार नकली थे; या

(घ) कि चुनाव का परिणाम, जहाँ तक वह

एक लौटे हुए उम्मीदवार की चिंता है,

भौतिक रूप से प्रभावित -

अनुचित स्वीकृति से

((i)

कोई नामांकन, या

((ii) में किए गए किसी भी भ्रष्ट आचरण द्वारा

लौट आए लोगों के हित

इसके अलावा किसी अन्य अभिकर्ता द्वारा उम्मीदवार

उसका चुनाव अभिकर्ता; या

अनुचित स्वागत से,

(iii)

किसी भी वोट से इनकार या अस्वीकृति या [2022] 18 एस. सी. आर.

ई. एम. ई. न्यायालय की रिपोर्ट

किसी भी वोट का स्वागत जो है

शून्य; या

((iv) किसी भी गैर-अनुपालन द्वारा

इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम या आदेश के प्रावधानों के अनुसार, न्यायालय घोषणा करेगा कि वापस लौटे उम्मीदवार का चुनाव

शून्य।

(2) यदि न्यायालय की राय में एक लौटाया गया उम्मीदवार

अपने चुनाव एजेंट के अलावा किसी अन्य एजेंट द्वारा दोषी ठहराया गया है,

किसी भी भ्रष्ट प्रथा के बारे में लेकिन न्यायालय संतुष्ट है। –

((क) ऐसा कोई भ्रष्ट आचरण नहीं किया गया था। उम्मीदवार या उसके चुनाव द्वारा चुनाव में

एजेंट, और इस तरह की हर भ्रष्ट प्रथा थी

आदेशों के विपरीत प्रतिबद्ध, और बिना

उम्मीदवार या उसके चुनाव की सहमति

एजेंट;

(ख) जिसे उम्मीदवार और उसके चुनाव एजेंट ने लिया था

रोकने के लिए सभी उचित साधन

(ग) कि अन्य सभी मामलों में चुनाव था किसी भी भ्रष्ट प्रथा से मुक्त

उम्मीदवार या इनमें से कोई भी अभिकर्ता, फिर न्यायालय

यह तय कर सकते हैं कि लौटने वालों का चुनाव

उम्मीदवार शून्य नहीं है।

स्पष्टीकरण। इस खंड में "अभिकर्ता" शब्द है - वही अर्थ जो धारा 120 में है।

धारा 102 की उप-धारा (1) से, एकई पाँच अलग-अलग आकस्मिकताओं के तहत शून्य घोषित किया गया। वे.

लौटाया गया उम्मीदवार योग्य नहीं था या अयोग्य घोषित किया गया था

उसका चुनाव; (ii) कि कोई भी भ्रष्ट अभ्यास किया गया है

लौटाया उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट या किसी द्वारा

लौटने वाले उम्मीदवार या उसके एजेंट की सहमति के साथ;

नामांकन को अनुचित रूप से खारिज कर दिया गया था; (iv) कि धारा 52 रावी नम्बूदरी v की उप-धारा (1 ए) के तहत निर्वाचित उम्मीदवार का विवरण।

और (v) कि चुनाव का परिणाम, जहां तक लौटने वाले उम्मीदवार का संबंध है, या तो किसी नामांकन की अनुचित स्वीकृति से या अपने चुनाव एजेंट के अलावा किसी अन्य एजेंट द्वारा लौटे उम्मीदवार के हित में की गई किसी भ्रष्ट प्रथा से या किसी भी वोट का अनुचित स्वागत, इनकार या अस्वीकृति या किसी भी वोट का स्वागत जो शून्य है या इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी नियम या आदेश के प्रावधानों का कोई अनुपालन नहीं करने से भौतिक रूप से प्रभावित हुआ है।

एक ओर खंड (ए), (बी), (सी) और (सी) और दूसरी ओर धारा 102 की उप-धारा (1) के खंड (डी) के बीच का अंतर यह है। किसी एक या अधिक आकस्मिकताओं के तहत चुनाव को अलग रखने के लिए खंड (ए), (बी), (सी) और (सीए) में उल्लिखित, यह आवश्यक नहीं है

यह पता लगाने के लिए कि चुनाव का परिणाम, जहां तक लौटने वाले उम्मीदवार की बात है, भौतिक रूप से प्रभावित हुआ है या नहीं।

17. इसके विपरीत, किसी भी नामांकन की अनुचित स्वीकृति या किसी भ्रष्ट व्यक्ति के आयोग के आधार पर चुनाव कराने के लिए अमान्य होना।

किसी अन्य अभिकर्ता द्वारा अभ्यास, लेकिन लौटे उम्मीदवार के हित में या किसी भी वोट का अनुचित स्वागत, इनकार या अस्वीकृति या किसी भी वोट का स्वागत जो अधिनियम, नियमों या आदेशों के प्रावधानों के साथ अमान्य या गैर-अनुपालन है, न्यायालय को संतुष्ट होना चाहिए कि चुनाव का परिणाम भौतिक रूप से प्रभावित हुआ है।

18. दूसरे शब्दों में धारा 102 की उप-धारा (1) में कहा गया है, (i) वापस लौटे उम्मीदवार की गैर-योग्यता/अयोग्यता; (ii) कमीशन।

वापस लौटे उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वापस लौटे उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट की सहमति से किसी भी भ्रष्ट आचरण का; (iii) किसी भी नामांकन की अनुचित अस्वीकृति; और (iv) प्रस्तुत करना धारा 52 (1 ए) के तहत विवरण जो नकली हैं, बहुत अधिक ऊंचाई पर हैं। यदि इन चार आधारों में से किसी एक पर उम्मीदवार के चुनाव को चुनौती दी जाती है, तो यह दिखाना आवश्यक नहीं है कि चुनाव का परिणाम भौतिक रूप से प्रभावित हुआ है।

19. धारा 102 की उप-धारा (1) में कहा गया है, (i) अनुचित स्वीकृति।

किसी भी नामांकन का; (ii) वापस लौटे उम्मीदवार के हित में, लेकिन उसके अपने चुनाव एजेंट के अलावा किसी अन्य एजेंट द्वारा किसी भी भ्रष्ट आचरण का कमीशन; (iii) किसी भी वोट का अनुचित स्वागत, इनकार या अस्वीकृति या [2022] 18 एस. सी. आर.

(iv) अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी नियम या आदेश का पालन न करना, जहां न्यायालय किसी अतिरिक्त कारक पर गौर करने के लिए बाध्य है और चुनाव का परिणाम भौतिक रूप से प्रभावित हुआ था।

ctors. अभिव्यक्ति "भ्रष्ट व्यवहार" को धारा 120 में परिभाषित किया गया है।

एच इस प्रकार पढ़ता हैः

" 120. भ्रष्ट आचरण। निम्नलिखित होगा

इसके उद्देश्यों के लिए भ्रष्ट प्रथाएं मानी जाती हैं।

अधिनियम -

(1) “ रिश्वत ", अर्थात, -

(ए) किसी उम्मीदवार द्वारा कोई उपहार, प्रस्ताव या वादा या

उसके अभिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति की सहमति से

उम्मीदवार या उसके किसी भी संतुष्टि के चुनाव एजेंट, को

कोई भी व्यक्ति जो, वस्तु के साथ, सीधे या

अप्रत्यक्ष रूप से प्रेरित करने का -

(क) एक व्यक्ति के रूप में खड़ा होना या खड़ा नहीं होना, या

उम्मीदवार बनने से पीछे हटना या नहीं हटना

किसी चुनाव में, या

(ख) मतदान करने या मतदान करने से बचने के लिए एक निर्वाचक

किसी चुनाव में, या पुरस्कार के रूप में -

((i) ऐसा व्यक्ति जो खड़ा था या खड़ा नहीं था,

या वापस लेने या वापस नहीं लेने के लिए

उम्मीदवारी; या

((ii) मतदान करने या मतदान से दूर रहने के लिए एक निर्वाचक

मतदान से;

((ख) किसी वस्तु की प्राप्ति या उसे प्राप्त करने के लिए समझौता।

संतुष्टि, चाहे उद्देश्य के रूप में हो या पुरस्कार के रूप में -

(क) किसी व्यक्ति द्वारा खड़े होने या न होने के लिए

के रूप में खड़ा होना, या वापस लेने या वापस नहीं लेने के लिए एक उम्मीदवार होने से; या

((ख) किसी भी व्यक्ति द्वारा जो अपने लिए भी हो।

या मतदान करने या मतदान से बचने के लिए कोई अन्य व्यक्ति, या किसी भी निर्वाचक को मतदान करने के लिए प्रेरित करना या प्रेरित करने का प्रयास करना I नाम्बूतिरी V.

के. ए. बैजू और ओ. आर. एस. [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

या मतदान करने से बचें, या किसी भी उम्मीदवार को अपनी उम्मीदवारी वापस लेने या न लेने से बचें।

स्पष्टीकरण। - इस खंड के प्रयोजनों के लिए 'संतुष्टि' शब्द केवल धन प्राप्ति तक ही सीमित नहीं है।

धन में अनुमानित संतुष्टि या संतुष्टि और इसमें सभी प्रकार के मनोरंजन और पुरस्कार के लिए सभी प्रकार के रोजगार शामिल हैं, लेकिन इसमें किसी भी चुनाव में या उसके उद्देश्य के लिए किए गए किसी भी खर्च का भुगतान शामिल नहीं है।

धारा 85 में निर्दिष्ट चुनाव व्यय का लेखा।

(2) " अनुचित प्रभाव ", अर्थात, किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप या हस्तक्षेप करने का प्रयास

किसी भी चुनावी अधिकार के स्वतंत्र अभ्यास के साथ उम्मीदवार, या उसके एजेंट, या उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति का हिस्साः

बशर्ते कि -

((क) इस खंड के प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसा कोई व्यक्ति जिसे निर्दिष्ट किया गया हो। किसके लिए -

(i) किसी भी उम्मीदवार या किसी भी निर्वाचक, या किसी भी व्यक्ति को धमकी देता है जिसमें कोई उम्मीदवार या निर्वाचक है।

सामाजिक बहिष्कार और किसी भी जाति या समुदाय से पूर्व संचार या निष्कासन सहित किसी भी प्रकार की चोट के साथ; या

((ii) किसी उम्मीदवार या निर्वाचक को यह विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है या प्रेरित करने का प्रयास करता है कि वह, या कोई भी व्यक्ति जिसमें

वह रुचि रखता है, दिव्य अप्रसन्नता या आध्यात्मिक निंदा का विषय बन जाएगा या प्रस्तुत किया जाएगा, के स्वतंत्र अभ्यास में हस्तक्षेप करने के लिए माना जाएगा

इस खंड के अर्थ के भीतर ऐसे उम्मीदवार या निर्वाचक का चुनावी अधिकार; (ख) सार्वजनिक नीति की घोषणा; या सार्वजनिक कार्रवाई का वादा, या केवल कानूनी अधिकार का प्रयोग

चुनावी अधिकार में हस्तक्षेप करने के इरादे के बिना इस खंड के अर्थ के भीतर हस्तक्षेप नहीं माना जाएगा।

(3) किसी उम्मीदवार या उसके एजेंट या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी उम्मीदवार या उसकी सहमति से की गई अपील

चुनाव अभिकर्ता किसी व्यक्ति को उसके धर्म, नस्ल, जाति के आधार पर मतदान करने या मतदान करने से रोकने के लिए,

समुदाय या भाषा या धार्मिक प्रतीकों का उपयोग या अपील या राष्ट्रीय प्रतीकों जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय प्रतीक का उपयोग या अपील

उस उम्मीदवार के चुनाव की संभावनाओं को आगे बढ़ाने या किसी उम्मीदवार के चुनाव को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने के लिएः

बशर्ते कि इस अधिनियम के तहत बनाए गए किसी भी नियम के तहत किसी उम्मीदवार को आवंटित कोई भी प्रतीक ऐसा नहीं माना जाएगा -

इस खंड के प्रयोजनों के लिए एक धार्मिक प्रतीक या एक राष्ट्रीय प्रतीक होना।

(4) विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता या घृणा की भावना को बढ़ावा देना या बढ़ावा देने का प्रयास करना।

धर्म, नस्ल, जाति के आधार पर भारत के नागरिकों का,

समुदाय, या भाषा, किसी उम्मीदवार या उसके एजेंट या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट की सहमति से उस उम्मीदवार के चुनाव की संभावनाओं को आगे बढ़ाने या प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने के लिए।

(5) किसी उम्मीदवार या उसके प्रतिनिधि या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, किसी उम्मीदवार या उसकी सहमति से प्रकाशन। चुनाव अभिकर्ता, तथ्य के किसी भी बयान का जो गलत है, और जिसे वह या तो गलत मानता है या सच नहीं मानता है, किसी भी उम्मीदवार के व्यक्तिगत चरित्र या आचरण के संबंध में, या

किसी भी उम्मीदवार की उम्मीदवारी, या वापसी, एक बयान है जो पूर्वाग्रह के लिए उचित रूप से गणना की गई है

उस उम्मीदवार के चुनाव की संभावनाएँ।

(6) किसी उम्मीदवार द्वारा किसी भी वाहन या पोत को किराए पर लेना या खरीदना, चाहे भुगतान पर या अन्यथा,

या उसके अभिकर्ता द्वारा या किसी उम्मीदवार या उसके चुनाव अभिकर्ता की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, या किसी भी निर्वाचक के मुक्त परिवहन के लिए ऐसे वाहन या पोत का उपयोग (स्वयं उम्मीदवार के अलावा, उसके आई. नम्बूरी v के सदस्य।

के. ए. बैजू और ओ. आर. एस. [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

परिवार या उसका एजेंट) धारा 45 के तहत प्रदान किए गए किसी भी मतदान केंद्र सेः

बशर्ते कि किसी निर्वाचक द्वारा या कई निर्वाचकों द्वारा मतदान के लिए निर्धारित किसी ऐसे मतदान केंद्र या स्थान से उसे लाने-ले जाने के उद्देश्य से अपनी संयुक्त लागत के रूप में किसी वाहन या पोत को किराए पर लेना इस खंड के तहत एक भ्रष्ट प्रथा नहीं मानी जाएगी यदि इस तरह किराए पर लिया गया वाहन या पोत एक वाहन या पोत है जो यांत्रिक शक्ति से नहीं चलता हैः

बशर्ते कि किसी भी सार्वजनिक परिवहन का उपयोग,

किसी भी मतदाता द्वारा अपने खर्च पर जाने के उद्देश्य से वाहन या पोत या कोई ट्रामकार या रेलवे गाड़ी या ऐसे किसी मतदान केंद्र या मतदान के लिए निर्धारित स्थान से आना एक भ्रष्ट प्रथा नहीं मानी जाएगी।

इस खंड के तहत।

स्पष्टीकरण। इस खंड में, 'वाहन' पद का अर्थ है कोई भी वाहन जिसका उपयोग किया जाता है या जिसका उपयोग करने में सक्षम है।

सड़क परिवहन का उद्देश्य, चाहे वह यांत्रिक शक्ति से संचालित हो या अन्यथा और चाहे वह अन्य वाहनों को खींचने के लिए उपयोग किया जाता हो या अन्यथा।

(8) किसी उम्मीदवार या उसके द्वारा प्राप्त करना या खरीद करना या बढ़ावा देना या प्राप्त करने या खरीद करने का प्रयास करना। अभिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति की सहमति से

उम्मीदवार या उसके चुनाव अभिकर्ता, को आगे बढ़ाने के लिए कोई सहायता (वोट देने के अलावा) उस उम्मीदवार के चुनाव की संभावनाएँ, किसी पंचायत या सरकार की सेवा में किसी भी व्यक्ति से, और निम्नलिखित वर्गों में से किसी से संबंधित, अर्थात्ः -

(क) राजपत्रित अधिकारी;

(ग) आबकारी अधिकारी;

(घ) राजस्व अधिकारी; और [2022] 18 एस. सी. आर.

(ई) सरकार की सेवा में व्यक्तियों के ऐसे अन्य वर्ग जो हो सकता है

निर्धारित;

बशर्ते कि जहां कोई व्यक्ति, सरकार की सेवा में है और किसी भी वर्ग से संबंधित है

उपरोक्त, अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन या कथित निर्वहन में, कोई भी व्यवस्था या प्रावधान करता है किसी भी उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट या किसी के लिए, उसके लिए या उसके संबंध में कोई सुविधा या कोई अन्य कार्य या चीज करता है।

उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट की सहमति से कार्य करने वाला अन्य व्यक्ति, (चाहे उम्मीदवार द्वारा धारण किए गए पद के कारण या किसी अन्य कारण से)

व्यवस्थाएँ, सुविधाएँ या कार्य या चीज़ नहीं होगी

उस उम्मीदवार के चुनाव की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए सहायता माना जाता है।

(9) उम्मीदवार या उसके एजेंट या उम्मीदवार की सहमति से काम करने वाले अन्य व्यक्ति द्वारा बूथ कैप्चरिंग या उनके चुनाव एजेंट।

स्पष्टीकरण 1. - इस खंड में कोई भी अभिव्यक्ति

" एजेंट "में एक चुनाव एजेंट, एक मतदान एजेंट और कोई भी व्यक्ति जिसने उम्मीदवार की सहमति से चुनाव के संबंध में एक एजेंट के रूप में कार्य किया है।

स्पष्टीकरण 2. - खंड (8) के प्रयोजनों के लिए, एक व्यक्ति को आगे बढ़ाने में सहायता करने वाला माना जाएगा

उम्मीदवार के चुनाव की संभावनाएँ यदि वह उस उम्मीदवार के चुनाव एजेंट के रूप में कार्य करता है।

स्पष्टीकरण 3. - खंड (8) के प्रयोजनों के लिए, किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, सरकार या पंचायत की सेवा में किसी व्यक्ति की नियुक्ति, त्यागपत्र, सेवा समाप्ति, बर्खास्तगी या सेवा से हटाने का राजपत्र में प्रकाशन निर्णायक प्रमाण होगा।

((i) ऐसी नियुक्ति, त्यागपत्र,

सेवा की समाप्ति, बर्खास्तगी या सेवा से निष्कासन, जैसा भी मामला हो, और रावी नम्बूदरी v.

के. ए. बैजू और ओ. आर. एस. [वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

((ख) जहां ऐसी नियुक्ति, त्यागपत्र, सेवा समाप्ति के प्रभावी होने की तारीख,

जैसा भी मामला हो, सेवा से बर्खास्तगी या निष्कासन,

ऐसे प्रकाशन में इस तथ्य के बारे में भी कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को उक्त तिथि से प्रभावी रूप से नियुक्त किया गया था, या

इस्तीफे, सेवा की समाप्ति, बर्खास्तगी या सेवा से हटाने के मामले में, ऐसा व्यक्ति बंद हो जाता है।

उक्त तिथि से ऐसी सेवा में होना।

स्पष्टीकरण 4. - खंड (9) के प्रयोजनों के लिए, "बूथ कैप्चरिंग" का वही अर्थ होगा जो धारा 137 में है। ”

21. प्रतिवादी संख्या 1 का तर्क है कि मामला गिर जाएगा।

स्पष्ट रूप से धारा 102 (1) (सीए) के तहत, जो धारा 52 (1ए) के तहत विवरण प्रस्तुत करने से संबंधित है, लेकिन जो नकली हैं। वैकल्पिक रूप से, यह सुझाव दिया जाता है कि मामला धारा 102 (1) (बी) के तहत आएगा जो लौटे उम्मीदवार द्वारा किसी भी भ्रष्ट आचरण से संबंधित है। चूँकि धारा 120 (2) में 'भ्रष्ट आचरण' शब्द को 'किसी भी चुनावी अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग के साथ अनुचित प्रभाव' को शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है, इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि मामला कृष्णमूर्ति (उपरोक्त) में निर्धारित कानून को देखते हुए धारा 102 (1) (बी) के तहत भी आ सकता है।

22. प्रतिवादी नं. 1 के विद्वान वरिष्ठ वकील के तर्क के दूसरे अंग के बारे में हमें अपने स्वयं के संदेह हैं। दूसरा अंग

उनका तर्क है कि प्रपत्र में सही जानकारी का खुलासा करने में विफलता 2ए 'चुनावी अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग पर अनुचित प्रभाव' के समान होगा, जो अधिनियम की धारा 120 के तहत 'भ्रष्ट व्यवहार' अभिव्यक्ति की परिभाषा के भीतर आता है। इस तर्क के लिए प्रेरणा कृष्णमूर्ति (ऊपर) में इस न्यायालय के फैसले से उत्पन्न होती है।

23. दिलचस्प बात यह है कि कृष्णमूर्ति मामले में इस अदालत का फैसला

मद्रास उच्च न्यायालय के एक फैसले से उत्पन्न हुआ, जिसे एक ने लिखा था

यू. एस. (वी. आर. एस, जे.) 3. यह एक ऐसा मामला था जिसमें निर्वाचित उम्मीदवार नामांकन के साथ शपथ पत्र और घोषणा पत्र में अपने खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के बारे में विवरण का खुलासा करने में विफल रहा। इस तरह के विवरण संविधान के अनुच्छेद 243-के और 243-जेडए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के संदर्भ में प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता थी, जिन्हें प्रासंगिक प्रावधानों के साथ पढ़ा जाता था। 5 मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांकित 15-6-2009 के फैसले की पुष्टि इस अदालत ने की थी।

स्थानीय निकायों से संबंधित विभिन्न तमिलनाडु राज्य अधिनियम। तमिलनाडु पंचायत अधिनियम, 1994 की धारा 260 के साथ पठित धारा 259 के प्रावधानों के तहत उस मामले में लौटे उम्मीदवार के चुनाव को चुनौती दी गई थी। जबकि तमिलनाडु अधिनियम की धारा 259 से निपटा गया

जिन आधारों पर एक चुनाव को अमान्य घोषित किया जा सकता है, अधिनियम की धारा 260 ने परिभाषित किया कि भ्रष्ट प्रथाएं क्या हैं। तमिलनाडु अधिनियम की धारा 259 समान है, हालांकि केरल अधिनियम की धारा 102 के समान नहीं है और तमिलनाडु अधिनियम की धारा 260 समान है - केरल अधिनियम की धारा 120। तमिलनाडु अधिनियम की धारा 259 (1) और केरल अधिनियम की धारा 102 (1) को एक सारणीबद्ध कॉलम में प्रस्तुत किया गया है ताकि उनके बीच के अंतर की सराहना की जा सके:

तमिलनाडु अधिनियम की धारा 259 केरल अधिनियम की धारा 102

259. घोषणा के लिए आधार

102. चुनाव घोषित करने के लिए आधार

चुनाव रद्द हो जाएँगे

शून्य हो जाओ।

-

(1) उप-धारा धारा (2) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, यदि जिला न्यायाधीश (2) का है, यदि न्यायालय की राय है -

(क) कि उनके चुनाव की तारीख को क

राय-(ए) कि उसके चुनाव की तारीख को एक लौटा हुआ उम्मीदवार योग्य नहीं था, या लौटा हुआ उम्मीदवार योग्य नहीं था, इस अधिनियम के तहत एक सीट के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य था या अयोग्य था; या

इस अधिनियम के तहत सदस्य, या,

(ख) कि कोई भी भ्रष्ट अभ्यास किया गया है

एक लौटे उम्मीदवार या उसके द्वारा प्रतिबद्ध

(ख) कि कोई भी भ्रष्ट प्रथा है

एक वापसी द्वारा प्रतिबद्ध किया गया

चुनाव अभिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा

उम्मीदवार या उसके एजेंट या किसी द्वारा

लौट आए उम्मीदवार या उसकी सहमति

एक की सहमति से अन्य व्यक्ति

चुनाव अभिकर्ता; या

(ग) कि कोई भी नामांकन किया गया है

लौटाया गया उम्मीदवार या उसका एजेंट, या

(ग) कि किसी भी नामांकन पत्र में

अनुचित रूप से अस्वीकार किया गया; या

अनुचित रूप से अस्वीकार कर दिया गया, या

(ग) द्वारा प्रस्तुत विवरण

((घ) चुनाव का परिणाम

उप-धारा के तहत निर्वाचित उम्मीदवार

(1(क) धारा 52 नकली थी; या

जहाँ तक यह एक वापसी से संबंधित है

((घ) चुनाव का परिणाम, अब तक

उम्मीदवार ने भौतिक रूप से

जैसा कि यह एक लौटे हुए उम्मीदवार के बारे में है,

प्रभावित - ((i) किसी की अनुचित स्वीकृति से

भौतिक रूप से प्रभावित हुआ -

नामांकन, या

((i) किसी की अनुचित स्वीकृति से

((ii) किसी भी भ्रष्ट आचरण द्वारा

नामांकन, या

((ii) में किए गए किसी भी भ्रष्ट आचरण द्वारा

के हितों के लिए प्रतिबद्ध

उस उम्मीदवार या उसके एजेंट या एक

द्वारा
अभिकर्ता; या

की सहमति से कार्य करने वाला व्यक्ति

ऐसे उम्मीदवार या अभिकर्ता, या

((ग) अनुचित स्वीकृति द्वारा या

किसी भी वोट या किसी के स्वागत से इनकार

वोट जो शून्य है; या

((iv) अनुपालन न करने पर

या

इस अधिनियम या किसी नियम के प्रावधान

न्यायालय

या उसके तहत किए गए आदेश,

न्यायालय चुनाव की घोषणा करेगा

वापस किया गया उम्मीदवार शून्य होना चाहिए।

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वापस किया गया उम्मीदवार

लौटे उम्मीदवार के हित

अपने चुनाव के अलावा किसी अन्य एजेंट

(iii) अनुचित स्वागत, अस्वीकृति द्वारा

या किसी भी वोट या स्वागत की अस्वीकृति

किसी भी मत का जो शून्य है; या

((iv) किसी भी गैर-अनुपालन द्वारा

इस अधिनियम या किसी नियम के प्रावधान

उसके अधीन किए गए आदेशों के अनुसार,

घोषणा करें कि वापस आए लोगों का चुनाव

उम्मीदवार को शून्य होना चाहिए।

24. तमिलनाडु अधिनियम और केरल अधिनियम के बीच महत्वपूर्ण अंतर धारा 102 की उप-धारा (1) में खंड (सीए) का सम्मिलन है। धारा 52 की उप-धारा (1ए) और धारा 102 की उप-धारा (1) का खंड (सीए) केरल पंचायत राज (संशोधन) द्वारा जोड़ा गया था।

2005 का अधिनियम, 30। कृष्णमूर्ति में निर्णय उस समय, स्थान और परिस्थिति में लिया गया जब आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में खुलासा केवल राज्य चुनाव की अधिसूचनाओं के तहत अनिवार्य किया गया था।

आयोग; और (ii) चुनाव को अमान्य घोषित करने के लिए क़ानून में गैर-प्रकटीकरण को अभी तक आधार नहीं बनाया गया था। इसलिए, न्यायालय ने पाया (सक्रिय रूप से), एक प्रावधान जो उस समय क़ानून में पहले से ही उपलब्ध था,

अर्थात् 'चुनावी अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग में अनुचित प्रभाव' और यह माना कि गैर-प्रकटीकरण का मतदाता की पसंद के स्वतंत्र प्रयोग पर अनुचित प्रभाव पड़ता है।

25. कृष्णमूर्ति में मद्रास उच्च न्यायालय का निर्णय आपराधिक पृष्ठभूमि के प्रकटीकरण से संबंधित चुनाव कानून के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का पता लगाता है, जो इस प्रकार हैः

(i) वर्ष 1999 में, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने दिल्ली उच्च न्यायालय की फाइल पर एक रिट याचिका दायर की, जिसमें भारत संघ को विधि आयोग द्वारा अपनी 170 वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को लागू करने और आवश्यक परिवर्तन करने का निर्देश देने की मांग की गई।

विधि आयोग और वोहरा समिति की रिपोर्टों के आलोक में, ए. डी. आर. ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिका में चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की कि वह इसे सभी के लिए अनिवार्य बनाए। उम्मीदवार चुनाव संचालन नियम, 1961 के तहत निर्धारित प्रपत्र 2-ए से 2-ई में संशोधन करके जानकारी प्रदान करेगा।

(ii) यद्यपि दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 1 के निर्णय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया कि [2022] 18 एस. सी. आर. के प्रतिनिधित्व में आवश्यक संशोधन करना संसद का कार्य है न कि न्यायालय का।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

लोक अधिनियम, 1951, दिल्ली उच्च न्यायालय ने फिर भी मतदाताओं को सुरक्षित करने के लिए चुनाव आयोग को एक निर्देश जारी किया, जिसमें कहा गया थाः

चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों से जानकारीः

" (क) क्या उम्मीदवार पर कारावास से दंडनीय किसी अपराध का आरोप है और यदि ऐसा है, तो विवरण;

(ग) उम्मीदवार की क्षमता के बारे में जानकारी देने वाले तथ्य, एक निर्वाचित सदस्य के रूप में कार्य करने की क्षमता और उपयुक्तता, जिसमें शैक्षिक योग्यता का विवरण भी शामिल है।

(घ) चुनाव आयोग द्वारा उम्मीदवार को मैदान में उतारने वाले राजनीतिक दल की क्षमता और क्षमता का आकलन करने के लिए आवश्यक मानी जाने वाली जानकारी।

((iv) दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय भारत संघ द्वारा इस न्यायालय में अपील पर लिया गया था और इसे एक रिट के साथ लिया गया था। पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज (संक्षेप में "पी. यू. सी. एल". के रूप में संदर्भित) द्वारा दायर याचिका, अनुच्छेद 32 के तहत कुछ समान निर्देशों की मांग करती है।

(v) विस्तृत दलीलें सुनने के बाद, इस न्यायालय ने दो तैयार किए

मामले में विचार के लिए उत्पन्न होने वाले प्रश्न और वे इस प्रकार हैंः

(ख) क्या एक मतदाता-देश के एक नागरिक को संपत्ति जैसी प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है,
सांसद या विधायक के रूप में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की उपयुक्तता का आकलन करने के लिए शिक्षित और सूचित होने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता और अपराधों में भागीदारी? आई. नम्बूथीरी बनाम।

के. ए. बैजू और ओ. आर. एस. [वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करते हुए, इस न्यायालय ने अपने निर्णय के पैराग्राफ-46 में सारांश दिया। निर्णय की विषय-वस्तु को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता हैः

" (क) चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र इतना व्यापक है कि इसमें चुनाव के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक सभी शक्तियां शामिल हैं, जिसमें चुनाव की पूरी प्रक्रिया भी शामिल है।

चुनाव जिसमें कई चरण और आलिंगन शामिल हैं

कई कदम;

(ख) शक्ति के पूर्ण स्वरूप की सीमा तब होती है जब संसद या राज्य विधानमंडल ने एक वैध कानून बनाया हो। यदि कानून चुप रहता है, तो अनुच्छेद 324 एक जलाशय है।

शक्ति की। यह एक अवशिष्ट शक्ति और वाक्यांश है " अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण "प्रकट हो रहा है

अनुच्छेद 324 (1) का उदारतापूर्वक अर्थ लगाया जाना चाहिए।

चुनाव आयोग को आदेश जारी करने का अधिकार देना;

(ग) निष्पक्ष चुनाव उम्मीदवार द्वारा अपने अतीत का खुलासा करने पर विचार करता है, ताकि उम्मीदवार को उसकी सोच और राय के अनुसार उचित विकल्प दिया जा सके। भले ही यह एक दुष्चक्र को तोड़ने के लिए शर्त बहुत प्रभावी नहीं है, यह मतदाताओं के लिए एक कदम-इन-हेल्प होगा

कानून निर्माताओं के रूप में कानून तोड़ने वालों का चुनाव करना; (घ) चुनावों की शुद्धता बनाए रखने और पारदर्शिता लाने के लिए, आयोग चुनाव के बारे में विवरण मांग सकता है।

राजनीतिक दलों द्वारा किया गया व्यय;

(ङ) लोकतंत्र में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है - से बहने वाले प्राकृतिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त

लोकतंत्र की अवधारणा;

(च) यदि विधानमंडल और कार्यपालिका के लिए निर्धारित क्षेत्र को खाली छोड़ दिया जाता है, जो जनहित के लिए हानिकारक है, तो

उच्चतम न्यायालय के पास पर्याप्त अधिकार क्षेत्र होगा

अनुच्छेद 32 के तहत 141 और के साथ पढ़ा जाता है

संविधान; (छ) चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के आपराधिक अतीत सहित पूर्ववृत्त को जानने का मतदाताओं का अधिकार, लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए बहुत अधिक मौलिक और बुनियादी है।

(vii) पैराग्राफ-46 में कानून का सारांश देने के बाद, इस न्यायालय ने पैराग्राफ-48 में कुछ निर्देश जारी किए, जो इस प्रकार हैं:

" 48. निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया जाता है कि वह शपथ पत्र पर आवश्यक आदेश जारी करके जानकारी मांगे।

संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग

प्रत्येक उम्मीदवार से भारत का संविधान

संसद या राज्य विधानमंडल के लिए चुनाव

उनकी उम्मीदवारी:

(1) चाहे उम्मीदवार को अतीत में किसी आपराधिक अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो/बरी किया गया हो/आरोपमुक्त किया गया हो, चाहे वह कारावास या जुर्माने से दंडित किया गया हो।

(2) नामांकन दाखिल करने के छह महीने पहले, क्या उम्मीदवार किसी लंबित मामले में आरोपी है,

(3) एक उम्मीदवार और उसके पति/पत्नी की संपत्ति (अचल, चल, बैंक शेष, आदि) और आश्रितों।

(4) देनदारियाँ, यदि कोई हों, विशेष रूप से चाहे किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान या सरकार का कोई अतिरिक्त बकाया हो

देय राशि।

(5) उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता। "

(viii) उपरोक्त निर्णय के बाद,

भारत ने चुनाव संचालन नियम, 1961 में संलग्न प्रपत्र 2-ए से 2-ई में संशोधन करने का निर्णय लिया और उपयुक्त संशोधनों के लिए भारत सरकार से संपर्क किया। लेकिन चुनाव आयोग को सरकार द्वारा सूचित किया गया कि सभी राजनीतिक दलों के परामर्श से कदम उठाए जा रहे हैं। इसलिए, यह पाते हुए कि उपरोक्त मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा समाप्त हो रही थी, निर्वाचन आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत संख्या 3/ई. आर./2002/जे. एस.-II/खंड-III दिनांक 28.6.2002 वाला एक आदेश जारी किया।

(ix) हालांकि, उपरोक्त मुद्दे के साथ लगभग एक साथ

निर्वाचन आयोग के आदेश पर, भारत के राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी किया जिसे "जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश 2002" के रूप में जाना जाता है।

आई. नम्बूथीरी बनाम। के. ए. बैजू और ओ. आर. एस. [वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

अध्यादेश को पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल ने चुनौती दी थी

अनुच्छेद 32 के तहत कुछ अन्य। विचाराधीनता के दौरान

ने अध्यादेश को निरस्त कर दिया गया और प्रतिनिधित्व

संशोधन) अधिनियम, 2002 को पूर्वव्यापी के साथ अधिसूचित किया गया था।

संशोधन, धारा 33-ए और 33-बी को जोड़ा गया

आँख इस प्रकार पढ़िए:

" 33 - ए. सूचना का अधिकार। - (1) एक उम्मीदवार, किसी भी जानकारी के अलावा जो उसे चाहिए इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत, उप-धारा (1) के तहत दिए गए अपने नामांकन पत्र में प्रस्तुत करें।

धारा 33 के बारे में भी जानकारी प्रदान करें -

क्या - ((i) उस पर किसी भी दंडनीय अपराध का आरोप है -

किसी लंबित मामले में दो वर्ष या उससे अधिक की कारावास

जिसका आरोप न्यायालय द्वारा तैयार किया गया है

सक्षम क्षेत्राधिकार;

((ii) वह उप-धारा (1) या उप-धारा (2) में निर्दिष्ट किसी अपराध के अलावा किसी अन्य अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, या धारा 8 की उप-धारा (3) में शामिल है और उसे सजा सुनाई गई है।

एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास। (2) उम्मीदवार या उसका प्रस्तावक, जैसा भी मामला हो,

निर्वाचन अधिकारी को धारा 33 की उप-धारा (1) के तहत नामांकन पत्र देने के समय, उसे उम्मीदवार द्वारा शपथ लिया गया एक शपथ पत्र भी देगा।

निर्दिष्ट जानकारी का सत्यापन करने वाले निर्धारित प्रपत्र में उप-धारा (1) में।

(3) निर्वाचन अधिकारी, जितनी जल्दी हो सके,

उप-धारा के तहत उसे जानकारी देना।

(1) , एक प्रति चिपकाकर उपरोक्त जानकारी प्रदर्शित करें

उप-धारा (2) के तहत दिए गए शपथ पत्र की जानकारी के लिए उसके कार्यालय में एक विशिष्ट स्थान पर

एक निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित निर्वाचक जिसके लिए

किसी न्यायालय या किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में [2022] 18 एस. सी. आर. द्वारा जारी निर्देश, आदेश या कोई अन्य निर्देश।

चुनाव आयोग, कोई भी उम्मीदवार अपने चुनाव के संबंध में ऐसी किसी भी जानकारी का खुलासा या प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जिसे इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत प्रकट या प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

चूंकि चुनौती के तहत आयुध को प्रतिस्थापित किया गया था

अधिनियम, कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, रिट याचिकाओं में अभिवचन और प्रार्थना में संशोधन किया गया था ताकि चुनौती को धारा 33 तक सीमित किया जा सके।

बी "।

(x) अंततः, इस न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ ने पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज में, के प्रतिनिधित्व की धारा 33-बी का निर्णय दिया

तीसरा संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा लाया गया लोक अधिनियम, 1951 असंवैधानिक है।

(xi) इस अदालत द्वारा धारा 33-बी को असंवैधानिक घोषित करने के बाद, भारत के चुनाव आयोग ने दिनांक 27.03.2003 पर संशोधित आदेश जारी किए। राज्य परिषद, लोक सभा, राज्य की विधान सभा या ऐसी परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के किसी भी चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल करते समय प्रत्येक उम्मीदवार से इस न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट मामलों के संबंध में पूरी और पूरी जानकारी एक शपथ पत्र में प्रस्तुत करने की अपेक्षा करता है, जिसके प्रारूप को आदेश के अनुलग्नक-I के रूप में संलग्न किया गया था।

26. पी. यू. सी. एल. में इस न्यायालय के फैसले के बावजूद, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 100 में संशोधन नहीं किया गया था ताकि चुनाव को अमान्य घोषित करने के आधारों में से एक के रूप में गैर-प्रकटीकरण या गलत प्रकटीकरण किया जा सके। धारा 100 (1) में चुनाव को अमान्य घोषित करने के लिए केवल चार आधार हैं। ये चार आधार हैं -

केरल पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 102 के खंड (ए), (बी), (सी) और (डी) के साथ तुलनीय। केरल अधिनियम की विशेष विशेषता है -

धारा 52 में खंड (1-क) का सम्मिलन और धारा 102 की उप-धारा (1) में खंड (ग) का सम्मिलन। 27. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के साथ-साथ तमिलनाडु पंचायत अधिनियम (जिसमें से निर्णय

कृष्णमूर्ति ने कहा) चुनाव को चुनौती देने वाले उम्मीदवार को यह घोषणा करने के लिए अधीनस्थ कानून पर भरोसा करना पड़ता था कि चुनाव शून्य था। चुनाव को अमान्य घोषित करने के आधारों में से एक के रूप में उन कानूनों में गैर-प्रकटीकरण/गलत प्रकटीकरण उपलब्ध नहीं कराया गया था। इसलिए, न्यायालय को नियमों और आदेशों से पीछे हटना पड़ा-रावी नम्बूथीरी बनाम।

उन उल्लंघनों को "अनुचित प्रभाव" के दायरे में लाना जो "भ्रष्ट व्यवहार" की ओर ले जाता है जो एक आधार के रूप में उपलब्ध है।

28. जहाँ तक केरल पंचायत राज अधिनियम का संबंध है, वहाँ

29. धारा 102 (1) (सी. ए.) पर वापस आते हुए, यह एक अदालत को एक लौटे उम्मीदवार के चुनाव को अमान्य घोषित करने में सक्षम बनाता है, यदि विवरण द्वारा प्रस्तुत किया गया है धारा 52 (1ए) के तहत उसे "नकली" पाया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि क़ानून "नकली" अभिव्यक्ति का उपयोग करता है न कि "गलत" जैसी अभिव्यक्तियों का।

" दमन "आदि। अधिनियम में "नकली" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। ब्लैक लॉ डिक्शनरी "नकली" शब्द को परिभाषित करती है जिसका अर्थ है "बनाना या बनाना"।

निर्माण "। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी "नकली" को इस प्रकार परिभाषित करती हैः

" नकली-"% adj"। असली नहीं, ओ% एन। एक व्यक्ति या चीज़ यह वास्तविक नहीं है, ओ% वी। 1. जाली या नकली (कुछ)। - % महसूस करने या पीड़ित होने का नाटक करें (एक भावना या बीमारी)। 2. (नकली व्यक्ति) एन. आमेर, अनौपचारिक चाल या किसी को धोखा दें।

-डेरिवेटिवेस फेकर एन। नकली एन "।

30. पी. रामनाथ अय्यर के एडवांस्ड लॉ लेक्सिकन में, (खंड)

2 , 5 संस्करण, 2017), "नकली" शब्द से संबंधित प्रविष्टि केवल पाठक को "जालसाजी" शब्द से संबंधित प्रविष्टि की ओर निर्देशित करती है। इसलिए, "नकली" शब्द का अर्थ समझने के लिए "जालसाजी" शब्द से संबंधित प्रविष्टि पर जाना पड़ता है। "जालसाजी" शब्द से संबंधित प्रविष्टि काफी लंबी है और यह आई. पी. सी., 1860 की धारा 463 के पहले संदर्भ से शुरू होती है जो "जालसाजी" को परिभाषित करती है। पूरी प्रविष्टि इस प्रकार हैः

" जालसाजी "। जालसाजी "जो कोई भी जनता या किसी व्यक्ति को नुकसान या चोट पहुँचाने के इरादे से, या किसी भी दावे या स्वामित्व का समर्थन करने के लिए, या किसी व्यक्ति को संपत्ति से अलग करने के लिए, या किसी भी स्पष्ट या निहित अनुबंध में प्रवेश करने के लिए, या धोखाधड़ी करने के इरादे से कोई भी गलत दस्तावेज या गलत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, या किसी दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का हिस्सा बनाता है।

कि धोखाधड़ी की जा सकती है, जालसाजी करता है। [आई. पी. सी. (1860 का 45), धारा 463] [2022] 18 एस.

ई. एम. ई. न्यायालय की रिपोर्ट

" एक व्यक्ति का अपने नाम का हस्ताक्षर जालसाजी के बराबर हो सकता है। [आई. पी. सी. (1860 का 45), धारा 464, स्पष्टीकरण। 1]

" हालांकि यह सच है कि धोखाधड़ी और जालसाजी के बीच अंतर है, और जालसाजी में कुछ तत्व होते हैं जो धोखाधड़ी में शामिल नहीं होते हैं, जालसाजी धोखाधड़ी की एक प्रजाति है। संक्षेप में, जालसाजी के अपराध में प्रत्यक्ष निर्माता या दराज या प्रत्यक्ष निर्माता या दराज के एजेंट के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी उपकरण को बनाना, बदलना या पूरा करना शामिल है। 37

सी. जे. एस. जालसाजी एस. 2,66 (1997) पर।

किसी उपकरण को धोखाधड़ी से बनाना या बदलना जो स्पष्ट रूप से दूसरे के कानूनी दायित्व को बनाता है या बदल देता है।

एक झूठा उपकरण बनाने का अपराध ताकि यह कर सके

वास्तविक के रूप में स्वीकार किया जाए।

किसी दस्तावेज़ की धोखाधड़ी से नकल या हस्ताक्षरकर्ता का लेखन या हस्ताक्षर ताकि इसे लिखित रूप में पारित किया जा सके।

किसी और से।

किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार के पूर्वाग्रह के लिए किसी भी अभिलेख, विलेख, लेखन, उपकरण, रजिस्टर, डाक टिकट आदि को धोखाधड़ी से बनाना या बदलना। (4 कॉम. 247.) धोखाधड़ी के उद्देश्य से किसी भी लिखित साधन का गलत निर्माण या

छल; एक के प्रत्येक परिवर्तन या जोड़ सहित असली साधन। (2 ईस्ट का पी. सी. सी. 19, सी. 1. 49. टॉमलिन)

जालसाजी की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द 'फोर्जर' से हुई है।

इसका अर्थ हैः

" ..... स्मिथ के रूप में किसी चीज़ को फ्रेम या फैशन करने के लिए अपना काम एन्विल पर करता है। और इसका उपयोग हमारे कानून में दूसरे व्यक्ति के अधिकार के पूर्वाग्रह के लिए झूठे लेखन को बनाने और प्रकाशित करने के लिए किया जाता है। (शब्दों का प्रयोग

ले)।

वेबस्टर के व्यापक शब्दकोश में,

अंतर्राष्ट्रीय एडन। , ' जालसाजी 'को इस प्रकार परिभाषित किया गया हैः

" धोखा देने के इरादे से गलत तरीके से बनाने या भौतिक रूप से बदलने का कार्य; कोई भी लेखन जो, यदि वास्तविक है, हो सकता है

कानूनी प्रभावकारिता या कानूनी आधार का होना

दायित्व "। नम्बूथीरी बनाम। के. ए. बैजू और ओ. आर. एस.

[वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

यह परिभाषा जैसा कि रेम्बर्ट v में अपनाया गया है। राज्य, सुबह 25 बजे प्रतिनिधि। 639. एक अन्य मामले में, अर्थात् राज्य v. फेल्प्स, 34 ए. एम. दिसंबर 672, यह निर्धारित किया गया था कि जालसाजी धोखाधड़ी या छल के उद्देश्य से किसी भी लिखित साधन का झूठा निर्माण है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह निर्णय जालसाजी के अर्थ पर आधारित है जैसा कि टॉमलिन में बताया गया है।

इंडियन बैंक बनाम सत्यम फाइबर (इंडिया) (पी) लिमिटेड, आकाशवाणी

1996 एससी 2592।

जालसाजी किसी भी लेखन को धोखा देने के इरादे से गलत तरीके से बनाना या भौतिक रूप से बदलना है, जो, यदि वास्तविक है, तो स्पष्ट रूप से कानूनी प्रभावकारिता या कानूनी दायित्व की नींव हो सकती है। (2 बिशप क्र. एल. संप्रदाय। 523 ; रेम्बर्ट

वी. राज्य, सुबह 25 बजे। प्रतिनिधि। 639) .

अन्य परिभाषाएँ "। किसी की गलत रचना

धोखाधड़ी या छल के उद्देश्य से लिखित, उपकरण। (राज्य वी। फेल्प्स, सुबह 34 बजे। डिस. 672.) “ किसी लिखित साधन को धोखाधड़ी से बनाना या बदलना

दूसरे के अधिकारों का पूर्वाग्रह "। " एक झूठे लेखन का धोखाधड़ी से निर्माण, जो वास्तविक होगा

जाहिरा तौर पर कुछ कानूनी प्रभावकारिता का हो "।

क्षमा याचना, मनगढ़ंत निर्देश,

गलत धारणाएँ विकृत होती हैं। कहाँ?

धन या संपत्ति प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया गया झूठा ढोंग एक लिखित साधन है, जिसके परिणामस्वरूप अपराध है

कभी-कभी जालसाजी या जाली का उच्चारण

साधन, और कभी-कभी झूठे ढोंग से संपत्ति प्राप्त करना। यदि उपयोग किया गया साधन अपने आप में गलत है और वह ऐसा है जो यदि वास्तविक है तो कुछ अधिकार या दायित्व पैदा करेगा, तो उसके विश्वास पर संपत्ति प्राप्त करना जालसाजी है।

या एक जाली वाद्य का उच्चारण, जैसा भी मामला हो सकता है

बनो। [लोग वी। मयूर, 6 कॉन। (एनवाई) 72]

जालसाजी धोखाधड़ी है और हस्तांतरणकर्ता को कोई कानूनी अधिकार नहीं दिया जाता है। [थोरप्पा देवनप्पा बनाम। उमेदमलजी,

ए. आई. आर. 1924 बम 205,87 आई. सी. 226,25 बम एल. आर. 604; बृज बसी बनाम। मोती राम, ए. आई. आर. 1982 ऑल 323; बांकू बिहारी सिकदर बनाम। परिषद में भारत के राज्य सचिव,

(1909) आई. एल. आर. 36 कैल 239; कराची बैंक बनाम। कोडुमल कालुमल, ए. आई. आर. 1923 सिंध 54; फर्म कालका पी. डी. राम [2022] 18 एस. सी. आर.

चरण वी. एल. कुंवर लाल थैपर, ए. आई. आर. 1957 ऑल 104; कोडुमल कालुमल बनाम। कराची बैंक लिमिटेड, ए. आई. आर. 1921 सिंध 172; महाबीर प्रसाद बुबना बनाम। संघ

बैंक ऑफ इंडिया, ए. आई. आर. 1992 कैल 270]

जाली दस्तावेजों पर आधारित दावों के खिलाफ विशेष शर्तों के तहत बैंकरों को विशेष रूप से संरक्षित किया जाता है [परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881, धारा 85 देखें]

चूंकि पूर्वाग्रहों का निर्माण उस व्यक्ति के लिए किया जाता है जिसके हस्ताक्षर जाली हैं, इसलिए वचन पत्र पर वास्तविक निष्पादक के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है।

नोट। [सत्य नारायण तिवारी बनाम। शीतल मिसिर, आकाशवाणी

1934 रंग 345,153 आईसी 631] "

31. लॉ लेक्सिकन में उपरोक्त प्रविष्टि को पढ़ने से पता चलता है कि

"जालसाजी" शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच में हुई है, जिसका अर्थ है "किसी चीज़ को उस रूप में तैयार करना या उसे आकार देना जैसा कि स्मिथ अपने काम में करता है। " " अनिवार्य रूप से "जालसाजी" में किसी भी लेखन की गलत रचना शामिल प्रतीत होती है।

32. इस प्रकार, उपरोक्त से यह प्रतीत होता है कि जालसाजी के तत्वों को भी कुछ नकली बनाने के अवयवों के रूप में पहचाना जाता है।

33. यदि किसी उपकरण का गलत निर्माण "नकली" और "जालसाजी" का एक सामान्य घटक है, तो प्रपत्र No.2A में गैर-प्रकटीकरण

अपीलार्थी को अतीत में हुई सजा निश्चित रूप से आ सकती है

आपराधिक पृष्ठभूमि, खुद को बिना किसी ऐसे व्यक्ति के होने के लिए प्रस्तुत करता है पूर्ववर्ती, जब वह सही खुलासा करने में विफल रहता है। कानून में, वह गुजर जाता है

या बिना किसी आपराधिक पृष्ठभूमि के एक व्यक्ति के रूप में सामने आता है। इसलिए,

पिछली दोषसिद्धि के संबंध में प्रपत्र 2 ए में सही खुलासा करने में विफलता निश्चित रूप से धारा 102 की उप-धारा (1) के खंड (सीए) में उल्लिखित 'नकली' शब्द के अर्थ के भीतर आएगी।

34. यह सच हो सकता है, जैसा कि अपीलार्थी के विद्वान वकील श्री रागेंथ बसंत ने तर्क दिया है कि नियम 6, जिसके संदर्भ में फॉर्म No.2A है मसौदा तैयार किया गया, एक अधीनस्थ विधान है, जो धारा 52 (1 ए) के दायरे से परे नहीं जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से अपीलार्थी के लिए नियम 6 है -

इस आधार पर चुनौती के तहत नहीं है कि यह अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इसलिए,

अपीलार्थी को अब यह तर्क देते हुए नहीं सुना जा सकता है कि नियम 6 धारा 52 (1 ए) के दायरे से आगे नहीं बढ़ सकता या उसका विस्तार नहीं कर सकता है।

35. यदि नियम 6 और प्रपत्र No.2A के लिए नहीं है, तो इस तर्क को स्वीकार करना संभव है कि धारा 52 (1ए) के तहत आवश्यकता "आपराधिक मामले में संलिप्तता के प्रकटीकरण" तक सीमित है।

36. हम प्रतिवादी नंबर 1 के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री पी. वी. सुरेंद्रनाथ के इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि वाक्यांश "भागीदारी" है। आपराधिक मामले में "पिछली दोषसिद्धि भी शामिल होगी, विशेष रूप से जब धारा 52 (1ए)" नामांकन दाखिल करने के समय "सवार का उपयोग करती है।

ऐसे मामले जहां आपराधिक शिकायत की जांच/सुनवाई लंबित है; (ii) ऐसे मामले जहां नामांकन दाखिल करने के समय दोषसिद्धि और/या सजा वर्तमान में है; और (iii) ऐसे मामले जहां दोषसिद्धि नामांकन के समय लंबित किसी अपील या पुनरीक्षण का विषय है। 38. इसलिए, नियम 6 और प्रपत्र No.2A के अभाव में हम आसानी से यह निष्कर्ष निकाल सकते थे कि अपीलार्थी का मामला धारा 52 (1ए) के दायरे में नहीं आएगा क्योंकि वह नामांकन की तारीख को किसी आपराधिक मामले में शामिल नहीं था। लेकिन नियम 6 और फॉर्म No.2A को कानून के "नकली" होने के अर्थ के साथ लिया जाता है, जिससे अपीलार्थी के लिए चीजें मुश्किल हो जाती हैं।

39. हमने उपरोक्त पैराग्राफ 9 में फॉर्म No.2A के प्रासंगिक हिस्से को निकाला है। प्रपत्र 2ए में कॉलम संख्या 1 में न केवल विवरण की आवश्यकता होती है

न्यायालय के समक्ष विचाराधीन आपराधिक मामलों के साथ-साथ उन आपराधिक मामलों में भी जिनमें प्रतियोगी को दोषी ठहराया गया था। प्रतियोगी को प्रपत्र No.2A में उन मामलों के बारे में विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है जिनमें वह है।

दंडित किया गया, मामला संख्या, न्यायालय, वे अपराध जिनके लिए सजा दी गई थी, सजा की प्रकृति और अपील या संशोधन आदि के बारे में विवरण। इसलिए, प्रपत्र No.2A धारा 52 (1ए) की आवश्यकता से कहीं अधिक है। अपीलार्थी स्वीकार करते हुए प्रपत्र No.2A में अपनी पिछली दोषसिद्धि का विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहा। इसलिए, जिस आधार पर उनके चुनाव को अमान्य घोषित करने की मांग की गई थी, वह पूरी तरह से अधिनियम की धारा 102 (1) (सीए) के अंतर्गत आता है।

40. लेकिन यही सब कुछ नहीं है। जिन अपराधों के लिए अपीलार्थी को अंततः दोषी ठहराया गया था, वे केरल पुलिस अधिनियम, 1960 (1961 का अधिनियम 5) की धारा 52 के साथ पठित धारा 38 के तहत थे।

2] 18 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

41. केरल पुलिस अधिनियम, 1960 की धारा 38 इस प्रकार हैः

एक्ट करें।
(2) एक पुलिस अधिकारी ऐसे किसी भी व्यक्ति को रोक सकता है या हटा सकता है जो विरोध करता है या इनकार करता है या ऐसा करने से इनकार करता है।

जैसा कि ऊपर बताया गया है "।

42. केरल पुलिस अधिनियम, 1960 की धारा 52 इस प्रकार हैः

" 52. पुलिस अधिकारियों के वैध और उचित निर्देशों का पालन करने में विफलता के लिए दंड। प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत एक पुलिस अधिकारी द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश की अवज्ञा करता है, दोषी ठहराए जाने पर दो सौ से अधिक के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा। रुपये "।

43. उपरोक्त दोनों प्रावधानों से यह देखा जा सकता है कि

अपीलार्थी को दोषसिद्धि वास्तव में एक पुलिस अधिकारी द्वारा जारी निर्देशों की अवज्ञा के लिए थी। यह एक धरना के संबंध में था जिसे अपीलार्थी ने पंचायत के सामने आयोजित किया था। कार्यालय, अपने समर्थकों के एक समूह के साथ। इसलिए, हम जिस प्रश्न पर विचार करने के लिए बाध्य हैं, वह यह है कि क्या ऐसे अपराधों के लिए दोषसिद्धि का खुलासा न करना भी अधिनियम की धारा 102 (1) (सीए) के दायरे में आएगा।

44. जैसा कि हमने कानून के विकास के तरीके से देखा है

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ऊपर) में निर्णय से, आपराधिक पृष्ठभूमि के प्रकटीकरण को मजबूर करने का प्राथमिक उद्देश्य चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों का उद्देश्य राजनीति को गैर-आपराधिक बनाना और मतदाताओं को उनकी पसंद के बारे में जागरूक करना है। यही कारण है कि यह न्यायालय कृष्णमूर्ति (ऊपर) में निर्णय के पैराग्राफ 94 में कानून के सिद्धांतों को तैयार करने में बहुत सावधानी बरत रहा था। कृष्णमूर्ति (ऊपर) में निर्णय के पैराग्राफ 94 को उपयोगी रूप से निम्नानुसार निकाला जा सकता हैः

" 94. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम अपने

निष्कर्ष निकालनाः

रावी नम्बूथीरी बनाम। के. ए. बैजू और ओ. आर. एस. [वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

94.1 . एक उम्मीदवार की आपराधिक पृष्ठभूमि का खुलासा, विशेष रूप से, जघन्य या गंभीर से संबंधित कानून द्वारा अनिवार्य नामांकन पत्र दाखिल करते समय भ्रष्टाचार या नैतिक अधमता से संबंधित अपराध या अपराध एक स्पष्ट अनिवार्यता है।

94.2 . जब इसका खुलासा नहीं किया जाता है

में उल्लिखित क्षेत्रों से संबंधित अपराध

पूर्ववर्ती खंड, यह मुक्त में एक बाधा पैदा करता है

चुनावी अधिकार का प्रयोग।

94.3 . इस प्रकृति को छिपाना या दबाना मतदाताओं को एक सूचित और सलाह दी गई पसंद करने से वंचित करता है, जिसके परिणामस्वरूप यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप के दायरे में आएगा या उम्मीदवार की ओर से मतदाताओं द्वारा मतदान के अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग में हस्तक्षेप करने का प्रयास करेगा।

94.4 . चूँकि उम्मीदवार को लंबित मामलों की विशेष जानकारी है जहाँ संज्ञान लिया गया है या आरोप बनाए गए हैं और उसकी ओर से कोई खुलासा नहीं किया गया है, इसलिए यह अनुचित प्रभाव के बराबर होगा और इसलिए चुनाव न्यायाधिकरण द्वारा धारा के तहत चुनाव को अमान्य घोषित किया जाना है।

100 (1) ((ख) 1951 अधिनियम।

94.5 . इस तरह के मामले में यह सवाल नहीं उठेगा कि क्या यह चुनाव को भौतिक रूप से प्रभावित करता है या नहीं।

45. जबकि भारतीय दंड संहिता के तहत या विशेष के तहत अपराध

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, शस्त्र अधिनियम आदि जैसे अधिनियम ठोस अपराध हैं, जिनका करना किसी व्यक्ति को अपराधी बना सकता है, केरल पुलिस अधिनियम जैसे कुछ अधिनियमों के तहत अपराध ठोस अपराध नहीं हैं। जिस तरह हमला एक हथियार है

श्रमिकों के हाथों में और तालाबंदी श्रम कल्याण कानूनों के तहत नियोक्ता के हाथों में एक हथियार है, विरोध नागरिक समाज के हाथों में एक उपकरण है और पुलिस कार्रवाई प्रतिष्ठान के हाथों में एक उपकरण है। केरल पुलिस अधिनियम, मद्रास पुलिस अधिनियम आदि जैसे सभी राज्य अधिनियमों का उद्देश्य पुलिस बल का बेहतर विनियमन करना है और वे ठोस अपराध पैदा नहीं करते हैं। यही कारण है कि ये अधिनियम स्वयं पुलिस को रखरखाव [2022] 18 एस. सी. आर. के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने का अधिकार देते हैं।

कानून और व्यवस्था के उल्लंघन और उनमें से किसी भी निर्देश के उल्लंघन को इन अधिनियमों के तहत दंडनीय अपराध बनाया गया है। 46. एक बार केरल पुलिस अधिनियम के प्रावधानों के पीछे के उद्देश्य को समझने के बाद, यह स्पष्ट हो जाएगा कि न तो नियम 6 और फॉर्म 2 ए के साथ पठित धारा 52 (1 ए) और न ही अधिनियम की धारा 102 (1) (सीए) और न ही एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, पीपुल्स यूनियन में निर्णय।

सिविल लिबर्टीज (पी. यू. सी. एल.) या कृष्णमूर्ति के लिए इस हद तक बढ़ाया जा सकता है कि अपीलार्थी द्वारा पंचायत कार्यालय के सामने धरना देने के लिए केरल पुलिस अधिनियम के तहत अपराध के लिए अपनी दोषसिद्धि का खुलासा करने में विफलता को चुनाव को अमान्य घोषित करने के आधार के रूप में लिया जाता है।

47. यह ध्यान देने योग्य होगा कि केरल पुलिस अधिनियम, 1960 ने (i) त्रावणकोर-कोचीन पुलिस अधिनियम, 1951 और (ii) मद्रास जिला पुलिस अधिनियम, 1859 को निरस्त कर दिया, जैसा कि मालाबार जिले में लागू होता है।

राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 5 (2)। इसने (i) पुलिस अधिनियम, 1861; और (ii) मद्रास शहर पुलिस अधिनियम, 1888 के प्रावधानों को भी निरस्त कर दिया, जिन्हें पहले मालाबार जिले तक विस्तारित किया गया था। इस प्रकार केरल पुलिस अधिनियम, 1960 वास्तव में औपनिवेशिक युग के कुछ पुलिस अधिनियमों का उत्तराधिकारी कानून है, जिसका उद्देश्य स्वदेशी आबादी की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को विफल करना था। आँखों पर पट्टी लगाने से पहले इस पहलू को ध्यान में रखा जाना चाहिए, सिद्धांत 'हंस के लिए जो चटनी है वह गैंडर के लिए चटनी है'।

48. इसलिए, हमारा विचार है कि जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय चुनाव की घोषणा करने में गलत थे

अपीलार्थी का इस आधार पर अमान्य होना कि अपीलार्थी का प्रपत्र 2 ए में खुलासा करने में विफलता, केरल पुलिस अधिनियम के तहत उसकी दोषसिद्धि 'चुनावी अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग पर अनुचित प्रभाव' के बराबर है और केरल पंचायत राज अधिनियम की धारा 102 (1) (सीए) के साथ पठित धारा 52 (1 ए) का भी उल्लंघन है। इसलिए, अपीलों की अनुमति दी जाती है, विवादित आदेशों को दरकिनार कर दिया जाता है और प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर चुनाव याचिका को खारिज कर दिया जाता है। कोई लागत नहीं।

अपीलों की अनुमति दी गई।

दिव्या पांडे और अनुराग भास्कर

(सहायकः राहुल कुमार, एलसीआरए)